Fourteenth Loksabha

Session : 10
Date : 12-03-2007

Participants : Yadav Shri Parasnath

Title: Need to review the criteria of admission in nursery Class recommended by Ganguli Committee -Laid.

श्री पारसनाथ यादव (जौनपुर) : महोदय, नर्सरी में बच्चों के दाखिले को आसान और भेदभाव रहित बनाने के लिए गांगुली कमेटी का गठन किया गया था। गांगुली कमेटी द्वारा बच्चों के दाखिले हेतु अनेक तर्कसंगत एवं बच्चों के हित वाली सिफारिशें की गयीं। परन्तु उनमें से एक सिफारिश कि -सौ अंक की वेटेज प्रणाली में 20 अंक उन बच्चों को दिये जाएंगे जिनके अभिभावक ग्रेजुएट या पोस्ट-ग्रेजुएट हैं। अर्थात जिनके माता पिता पढ़े लिखे नहीं है, उन्हें इन अंकों से वंचित रहना पड़ेगा। इससे साफ जाहिर है कि ऐसे अभिभावकों के बच्चों को कम वेटेज मिलेगा जिनके अभिभावक पढ़े-लिखे नहीं हैं। यानी उनके बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिला देने में भेदभाव किया जाएगा। यह उन माँ बाप के लिए आत्मग्लानि एवं मानसिक पीड़ा देने वाला फैसला है। यह फैसला उनको झकझोर देने वाला है जिन्हें अच्छी पढ़ाई की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। जिनके मां बाप पढ़े लिखे नहीं हैं, उन बच्चों को अच्छी शिक्षा दिया जाना जयादा जरूरी होते हुए उन्हें अच्छी शिक्षा देने से वंचित किया जा रहा है। वैसे भी उनके लिए जो साधनहीन हैं, अच्छी शिक्षा दिलाना सपने जैसा है। यदि सरकार इसे नियमानुसार लागू करना चाहती है तो सरकार की ओर से समाज के छोटे एवं बड़े वर्ग में भेदभाव पैदा करने जैसा होगा।

अतः सदन के माध्यम से जनहित में मेरा अनुरोध हे कि गांगुली कमेटी की पढ़े लिखे वर्ग तथा बिना पढ़े लिखे वर्ग में अंतर पैदा करने वाली वेटेज प्रणाली को लागू न किया जाये।